प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अधीन)

ओमनीबे प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ हेतु

प्रासंगिक विवरण

1	निगमित कर्जदार का नाम	**ओमनीबे प्राइवेट लिमिटेड**
2	निगमित कर्जदार के गठन की तिथि	12.01.2022
3	प्राधिकारी जिनके अधीन निगमित कर्जदार का गठन/पंजीयन किया गया है	कंपनियों के पंजीयक, कोलकाता
4	निगमित कर्जदार का कॉरपोरेट आईडेंटिटी सं.	U74999WB2022FTC250839
5	निगमित कर्जदार के पंजीकृत कार्यालय तथा मूल कार्यालय (यदि कोई है) का पता	401, परिसर सं. 2 की चौथी मंजिल, बैरेटो लेन, एसप्लेनेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 700069
6	निगमित कर्जदार के संबंध में दिवालिया आरम्भ होने की तारीख	18.05.2026
7	दिवालिया समाधान की प्रक्रिया बंद करने की अनुमानित तारीख	13.11.2026
8	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्यरत दिवालिया पेशेवर का नाम तथा पंजीयन संख्या	नामः स्वप्नील जैन पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P-02498/2021-2022/13872
9	बोर्ड के साथ यथा पंजीकृत अंतरिम समाधान पेशेवर का पता एवं ईमेल	**पताः** पोद्दार कोर्ट, 18, रवीन्द्र सरणी, सुईट सं. 517, गेट सं. 2, पांचवीं मंजिल, कोलकाता-700001 **ईमेल आईडः swapniljain88@gmail.com**
10	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार हेतु प्रयोग किया जाने वाला पता एवं ईमेल	**पताः** पोद्दार कोर्ट, 18, रवीन्द्र सरणी, सुईट सं. 517, गेट सं. 2, पांचवीं मंजिल, कोलकाता-700001 **ईमेलः cirp.omnibay@gmail.com**
11	दावा जमा करने अंतिम तिथि	01.06.2026
12	अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा निर्धारित धारा 21 की उप-धारा (6ए) के अनुच्छेद (बी) के अधीन ऋणदाताओं की श्रेणियां, यदि कोई है	लागू नहीं
13	एक श्रेणी में ऋणदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित दिवाला पेशेवरों का नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14	(क) प्रासंगिक प्रपत्र तथा (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण जहां उपलब्ध है	(क) **वेबलिंकः https://ibbi.gov.in//home/downloads** (ख) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, कोलकाता पीठ ने दिनांक **18.05.2026** को **ओमनीबे प्राइवेट लिमिटेड** के निगमित दिवाला समाधान की प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है। आईआरपी को प्रवेश आदेश प्राप्त होने की तारीख **19.05.2026**।

ओमनीबे प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं को एतद्द्वारा अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के पास प्रविष्टि सं. 10 में उल्लिखित पते पर दिनांक **01.06.2026** को अथवा उससे पहले अपने साक्ष्य के साथ अपने दावे जमा करने को कहा जाता है।

वित्तीय ऋणदाताओं को साक्ष्य के साथ अपने दावे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा करना होगा। अन्य सभी ऋणदातागण साक्ष्य के साथ अपने दावे व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के तहत सूचीबद्ध एक श्रेणी से संबंधित वित्तीय ऋणदाता को प्रपत्र सीए में अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन दिवालिया पेशेवरों में से अधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में अपनी पसंद का उल्लेख करना होगा।

दावों के गलत रहने पर अथवा झूठे साक्ष्य जमा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

स्वप्नील जैन
अंतरिम समाधान पेशेवर
आईबीबीआई पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P-02498/2021-2022/13872

तारीखः 20.05.2026
स्थानः कोलकाता

RBL BANK apna ka bank

आरबीएल बैंक लि.

प्रशासनिक कार्यालयः प्रथम लेन, शाहूपुरी, कोल्हापुर–416001
शाखा कार्यालयः आरबीएल बैंक लि., 9वीं मंजिल, टेक्नीप्लेक्स–I, वीर सावरकर फ्लाईओवर के पास, गोरेगांव (पश्चिम) मुंबई – 400062

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण नोटिस

हम, आरबीएल बैंक लिमिटेड, नीचे उल्लिखित कॉलम में उल्लिखित आवेदक और सह–आवेदक के सुरक्षित लेनदार, आप सभी को सूचित करते हैं कि आपके खाते को मूलधन और ब्याज के भुगतान/पुनर्भुगतान में चूक के कारण गैर–निष्पादित खाते (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और नीचे उल्लिखित कॉलम में उल्लिखित राशि अब नोटिस की तारीख को आपके द्वारा आरबीएल बैंक लिमिटेड को उस पर ब्याज सहित देय है। हमारी बार–बार की मांग के बावजूद, आप अपने खाते में बकाया राशि/भुगतान करने में विफल रहे हैं और उपेक्षा की है तथा आपने अपनी देनदारियों का निर्वहन नहीं किया है।

हम, इसलिए, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस जारी करते हैं, जिसमें नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर आपकी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने के लिए अनुबंधित दरों, लागतों, शुल्कों, अन्य धनराशियों पर लागू अतिरिक्त ब्याज के साथ राशियों के भुगतान की मांग की गई है।

ऋण खाता संख्या : उधारकर्ता का नाम, 13(2) नोटिस का विवरण और सांकेतिक कब्जे की तिथि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
1) श्री रोहित जगदीश महाजन (आवेदक एवं बंधककर्ता) **2) श्रीमती सुषमा जगदीश महाजन (सह–आवेदक और बंधककर्ता)** **पत्राचार हेतु पताः** मकान नं. 4, टेलीफोन नगर, कनाड़िया रोड, इंदौर एमपी–452016 ऋण खाता नं.: 809005583125, 809005582814 स्वीकृत राशि: Rs.91,00,000/-, Rs.68,00,000/- एनपीए तिथिः 06.05.2026 13(2) नोटिस दिनांकः 12.05.2026 13(2) नोटिस राशिः रु. 1,54,36,123/–	**सम्पत्ति पर मालिकाना हकः श्री रोहित जगदीश महाजन और श्रीमती सुषमा जगदीश महाजन** **प्लाट नंबर 4 पर मकान का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि टेलीफोन नगर, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1500 वर्ग फुट (139.40 वर्ग मीटर) जिला इंदौर, मध्य प्रदेश 452016,** **सीमाएंः** पूर्वः प्लॉट नंबर 3, दक्षिणः कॉलोनी रोड, पश्चिमः प्लॉट नंबर 5, उत्तरः बैक लेन
1) श्री किशोर प्रजापत पुत्र कैलाश प्रजापत (आवेदक एवं बंधककर्ता) **2) श्रीमती माया प्रजापत पत्नी किशोर प्रजापत (सह–आवेदक)** **पत्राचार हेतु पताः** मकान नं. 147, सर्वे नंबर 145, पैकी प.ह.नं. 19, वार्ड नं. 06, सरल सं. 69, निमाड नगर, इटावा, तहसील एवं जिला देवास, मध्य प्रदेश 455001 ऋण खाता नं.: 809007866219 स्वीकृत राशि: Rs.10,10,000/- एनपीए तिथिः 06.05.2026 13(2) नोटिस दिनांकः 14.05.2026 13(2) नोटिस राशिः रु. 10,10,721/–	**सम्पत्ति पर मालिकाना हकः श्री किशोर प्रजापत** **रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नंबर 147, सर्वे नंबर 145, पैकी प.ह. सं. 19, वार्ड नं. 06, सरल नंबर 69, निमाड़ नगर, इटावा, तहसील और जिला देवास, मध्य प्रदेश 455001 (उस पर बने स्ट्रक्चर के साथ जो लगभग 750 वर्ग फीट (69.70 वर्ग मी.)** **सीमाएंः** पूर्व – नाला, उत्तर – दरियाव जी का मकान, पश्चिम – सड़क, दक्षिण – बाबूलाल जी का मकान

अब आरबीएल बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी आपके दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने के लिए नियमों के तहत दिए गए उपरोक्त मांग नोटिस की सामग्री को प्रकाशित करते हैं, ऐसा न करने पर, हम बिना किसी संदर्भ के, उक्त अधिनियम के तहत दिए गए किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करके आपके द्वारा हमारे पक्ष में बनाई गई उपर्युक्त प्रतिभूति को लागू करने के लिए बाध्य होंगे।

कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों और उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किया गया है जो कि आरबीएल बैंक को उधारकर्ता और उक्त वित्तीय कानून के तहत गारंटर के खिलाफ उपलब्ध हैं। आपको यह भी ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूति का निपटान या उससे निपटने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति को स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है।

हस्ता/–
आरबीएल बैंक लि.
प्राधिकृत अधिकारी

स्थानः मध्य प्रदेश
तिथिः 19.05.2026

---

shubham

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : 425, उद्योग विहार फेस -IV, गुरूग्राम -122015 (हरियाणा)
फोन: 0124-4212530/31/32, ईमेल : customercare@shubham.co, वेबसाईट - www.shubham.co

अचल संपत्ति/(यों) की नीलामी सह विक्रय हेतु आम सूचना

नियम 8 (6) / 9 (1) एवं परिशिष्ट –IV– ए के प्रावधानों के अनुसार अचल सपंत्तियों के विक्रय की आम सूचना
(सिक्योटराईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रेस्ट एक्ट 2002, के अंतर्गत)

जहाँ कही, अधोहस्ताक्षरकर्ता शुभम हाऊसिंग डेवलपमेंट फायनेंस लिमिटेड (यहाँ आगे कंपनी कहा जायेगा) के प्राधिकृत अधिकारी में से एक हैं। अधोहस्ताक्षरकर्ता शुभम हाऊसिंग डेवलपमेंट फायनेंस लिमिटेड के बतौर प्राधिकृत अधिकारी सिक्यूरीटाईजशेन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेन्सियल एस्टेटस एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंट्रस्ट (इफोर्समेंट) नियम 2002 (अधिनियम) का नियम 9 के अनुपालन के साथ सिक्युरिटी इंट्रस्ट (इंफोर्समेंट) रुल्स, 2002 (नियम) नियम 9 में प्रदत्त शक्तियों को सपठित धारा 13 (2) के अंतर्गत नीचे संबंधित ऋणकर्ताओं जिनके नाम नीचे कॉलम (सी) में तिथि पर जो कॉलम (डी) में और चुकाये जाने वाली शेष राशि कॉलम (ई) में दशाई गई है, को प्रत्येक खातें में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान उपरोक्त सूचना की प्राप्ती दिनांक / सूचना की दिनांक से 60 दिवस में करने हेतु बुलाया गया था।

ऋणकर्ता/ओं राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, इस एतद सूचना द्वारा ऋणकर्ता/ओं को एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नियम की धारा 13 (4) के साथ सपठित उपरोक्त नियम 9 के अंतर्गत उनको / उन्हे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के समक्ष दर्शायी गयी दिनांक को नीचे कॉलम (एफ) में दर्शाई वर्णित सम्पत्ति / यों पर नीचे कॉलम (एच) दर्शाई तिथि को अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता को विशेष तौर पर एवं आम जनता को सामान्य तौर पर सावधान किया जाता है कि कॉलम (एफ) में दर्शाई संपत्तियों के साथ संव्यवहार न करें और इन संपत्तियो के साथ कोई भी व्यवहार कॉलम (जी) में दर्शाई राशि के लिए शुभम हाऊसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रभार के अंतर्गत होगा । अब, ऋणकर्ताओं और आम जनता को यह सूचना भी दी जाती है कि प्रत्येक संपत्ति के लिये कॉलम (के) में दर्शाई तिथि, समय और स्थान पर संपत्तियों का विक्रय किया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदन संख्या	ऋणकर्ता (ओं) का नाम एवं पता	धारा 13(2) के तहत सूचना की तिथि	मांग सूचना राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	वर्तमान देय राशि (14.05.2026 तक)	अधिकरण की तिथि एवं प्रकार	आरक्षित राशि (रु.)	ईएमडी (रु.) आरक्षित मूल्य का 10%	नीलामी की तिथि, समय व स्थान
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के
1.	0JHN160700000500101 8	**रत्नेश कुमार सेन, विनय सेन, रोहित सेन, राम सेन,** ददियापुरा शिवाजी नगर , खाती बाबा मंदिर के पास, झाँसी, उत्तर प्रदेश –284128	25-04-2024	₹ 11,16,940/-	बिना नंबर वाला मकान, जो अराजी नंबर 1411/2 मौजा दादियापुरा द्वितीय, झांसी, उत्तर प्रदेश –284002 का हिस्सा है।	₹ 16,58,279/-	01-07-2024 (सांकेतिक)	₹ 17,50,080/-	₹ 1,75,008/-	08-06-2026, 10:00 AM to 4:00 PM, मकान संख्या 290/1, नया 615, भूतल, भवारताल गार्डन के पास, स्पंदन अस्पताल के सामने, नेपियर टाउन, जबलपुर, मध्य प्रदेश – 482002
2.	0JHN230600000506408 8	**शिवम कुमार आनंद, सरमन देवी,** वार्ड नंबर 5 शास्त्री नगर इसाई टोला नगरा, काली जी का मंदिर के पास, झाँसी, उत्तर प्रदेश –284003	18-01-2025	₹ 22,79,171/-	आवासीय पुराना मकान संख्या 348 और नया मकान संख्या 1605 महावीरपुरम नगर, तहसील और जिला झांसी, उत्तर प्रदेश –284003	₹ 29,03,026/-	07-04-2025 (सांकेतिक)	₹ 34,20,000/-	₹ 3,42,000/-	22-06-2026, 10:00 AM to 4:00 PM, मकान संख्या 290/1, नया 615, भूतल, भवारताल गार्डन के पास, स्पंदन अस्पताल के सामने, नेपियर टाउन, जबलपुर, मध्य प्रदेश – 482002
3.	0GWL240100000507787 4	**रामवीर सिंह, शीला बघेल,** 15, ओरेठी कैंथ का पुरा संस्कार स्कूल, मुरैना, मध्य प्रदेश 476115	13-11-2025	₹ 14,39,085/-	यह संपत्ति सर्वे संख्या 449/1, वार्ड संख्या 03, कबीर वार्ड, मौजा बडोखर के एक भाग में, तहसील एवं जिला मोरेना, मध्य प्रदेश – 476001 में स्थित है / क्षेत्रफल 646 वर्ग फुट / चतुर्सीमाः (पूर्व – भूरी का प्लॉटः पश्चिम – मुन्ना तोमर का प्लॉटः उत्तर – 15 फुट चौड़ी सड़कः दक्षिण – नरोत्तम का प्लॉट)	₹ 15,79,787/-	09-02-2026 (सांकेतिक)	₹ 21,18,880/-	₹ 2,11,888/-	
4.	0GWL220500000504744 4	**जाबिद खान, मुबीना बेगम,** रामगढ घोसीपुरा नारायण सेठ की दुकान के पास ग्वालियर नूर मस्जिद के पास ग्वालियर, मध्य प्रदेश 474001	13-11-2025	₹ 14,74,770/-	मकान संख्या 770, वार्ड संख्या (01) और नया (03), रामगढ़ घोसीपुरा नगर, लश्कर परगना, जिला – ग्वालियर, मध्य प्रदेश – 474008 में स्थित संपत्ति / क्षेत्रफल 780 वर्ग फुट / चतुर्सीमाः (पूर्व – राम सिंह घोसी का खेत, पश्चिम – राम सिंह घोसी का खेत, उत्तर – राम सिंह घोसी का खेत, दक्षिण – सड़क)	₹ 15,42,876/-	09-02-2026 (सांकेतिक)	₹ 12,48,000/-	₹ 1,24,800/-	
5.	0GWL220400000504687 1	**हसमुद्दीन खान, आजम खान, इस्लामी, सकीला बानो,** वार्ड नंबर 28 गणेशपुरा जेल के पीछे, मुरैना, मध्य प्रदेश 476001	13-11-2025	₹ 11,08,393/-	वार्ड संख्या 35, सर्वे संख्या 356 मौजा सिकरपुर, तहसील जिला मोरेना, मध्य प्रदेश – 476001 में स्थित संपत्ति / क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट / चतुर्सीमाः (पूर्व – जमील खान की संपत्ति, पश्चिम – सड़क, उत्तर – सड़क, दक्षिण – विक्रेता की भूमि)	₹ 12,39,940/-	09-02-2026 (सांकेतिक)	₹ 16,56,000/-	₹ 1,65,600/-	
6.	0LPR240300000508071 3 & 0LPR240300000508033 4	**मुन्ना लाल, गेंदा रनई, सगुन बाई,** मैनवार महरौनी, प्राइमरी स्कूल के पास, झाँसी, उत्तर प्रदेश –284405	20-09-2025	₹ 8,96,525/- & 8,65,770/-	संपत्ति संख्या 6559 मिन, वार्ड संख्या 11, मोहल्ला रावतयाना, तहसील एवं जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश – 284403 / क्षेत्रफल 1250 वर्ग फुट / चतुर्सीमाः (पूर्व – महेश प्रसाद का टिन शेड, पश्चिम – जे ई साहब की जमीन, उत्तर – नमीन यादव का घर, दक्षिण – 40 फुट चौड़ी सड़क)	₹ 19,68,921/-	16-12-2025 (सांकेतिक)	₹ 31,60,000/-	₹ 3,16,000/-	

नोट : कंपनी की जानकारी के अनुसार उपरोक्त संपत्तियों पर कोई भार नहीं हैं।

नीलामी सह विक्रय के लिए नियम व शर्तें

आम नीलामी के लिए नियम व शर्तें : – बोली आमंत्रण द्वारा आम नीलामी की प्रक्रिया एवं नियम व शर्तें:

1. **सम्पत्तियों का निरीक्षण हेतु नंबर 1 दिनांक 05/06/2026, हेतु नंबर 2 से 6 दिनांक 19/06/2026 को प्रातः 10:00 बजे से सायं. 4:00 बजे के मध्य किया जा सकता है।**
2. विक्रय सरफेसी एक्ट / रुल्स 2002 के और इच्छुक / भागीदार बोलीकर्ताओं द्वारा जमा किये गये प्रस्ताव / बोली दस्तावेज के अनुसार यहाँ दर्शाई गई नियम व शर्तों के अनुसार उस पर कड़ाई से लागू शर्तों अनुसार होगा। इच्छुक बोलीकर्ताओं द्वारा जमा किए गए प्रस्ताव / निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई नियम व शर्तों के अनुसार विक्रय होगा।
3. बोलीया एक मोहरबंद लिफाफे में जमा धरोहर राशि (ईएमडी) सहित अपने प्रस्ताव किसी अधिसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के द्वारा स्थानीय शुभम हाऊसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कंपनी में भुगतान योग्य प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा करें। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बोली आवेदन के साथ प्रस्तावित बोलीदाता को उसका / उसकी पहचान पत्र / केवाईसी मानदंड आवास का प्रमाण पत्र जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस आदि की छायाप्रति संलग्न करना होगी एवं आय कर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की छायाप्रति अनिवार्य है।
4. **धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि हेतु नंबर 1 दिनांक 06/06/2026, हेतु नंबर 2 से 6 दिनांक 20/06/2026 को प्रातः 10:00 बजे से सायं. 4:00 बजे के मध्य किया जा सकता है।**
5. अंत में संपत्ति की दर्शाई आरक्षित मूल्य से कम पर विक्रय नहीं होगी।
6. विक्रय की तिथि पर सभी बोलियाँ खोली जायेगी संपत्ति दिये गये आरक्षित मूल्य से उच्चतम बोलीकर्ता को विक्रय की जायगी । यद्यपि उपस्थित बोलीकर्ता अपनी बोली बढ़ाने का अधिकार रखते हैं, न्यूनतम 5000/– (रुपये पाँच हजार मात्र) और उच्चतम प्रस्तावित मूल्य को कंपनी को स्वीकार करने का अधिकार है। सफल बोलीकर्ता / क्रेत द्वारा निर्धारित राशि (धरोहर राशि सहित) का 25% (पच्चीस प्रतिशत) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विक्रय के संबंध में स्वीकार करने के तुरंत / उसी दिन या बोली समाप्त होते ही करनी होगी, जिसकी प्राप्ति पर विक्रय की पुष्टि होगी। समय में विस्तार का निवेदन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निमय व शर्तों के अंतर्गत उसके एकल निर्णय के अनुसार होगा। बोली समाप्त होने के तुरंत बाद उच्चतम बोलीकर्ता 25 प्रतिशत राशि जमा करने में असफल होता है तो तब उच्चतम बोलीकर्ता द्वारा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी एवं सम्पत्ति द्वितिय उच्चतम बोलीकर्ता को प्रस्तावित की जायेगी। सफल बोलीकर्ता / क्रेता द्वारा निलामी राशि का शेष राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विक्रय के संबंध में स्वीकार करने के पन्द्रह दिन के भीतर अथवा लिखित में प्रधिकृत अधिकारी द्वारा विस्तार की गई अवधि में जमा करनी होगी। शेष विक्रय राशि के भुगतान में चूक होने पर निर्धारित अवधि में, जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी और सुरक्षित लेनदार पुनः बिक्री के लिए स्वतंत्र हो जायेगा तथा चूककर्ता क्रेता को क्रय के लिए पहले किये गए भुगतान के किसी भाग को जब्त तथा संपत्ति या उसके किसी अंश से संबंधित सभी दावे समाप्त समाप्त माने जाएगें।
7. क्रेता द्वारा सभी भुगतान डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर द्वारा शुभम हाऊसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कंपनी लिमिटेड के पक्ष में करने होंगे।
8. विक्रय का क्रेता द्वारा पूर्ण भुगतान करने पर, कंपनी क्रेता के पक्ष में एक सेल सर्टिफिकेट जारी करेगी तथा संपत्ति का अधिग्रहण क्रेता को सौंपा देगी।
9. यहाँ दर्शाई अचल संपत्ति अधोस्ताक्षरकर्ता द्वारा पुष्टीकरण की तिथि के बाद आग द्वारा हानि या क्षय, चौरी या अन्य दुघर्टना, अन्य खतरे पूर्णः पेश सफल क्रेता के एकल जोखीम पर होगी। सफल बोली दाता को उक्त बिक्री को किसी भी आधार पर रदद करने का अधिकार नहीं होगा।
10. असफल बोलीकर्ताओं द्वारा धरोहर राशि के लिये जमा किये गये डिमांड / पे आर्डर वापस कर दिये जायेंगे।
11. संपत्ति 'जहाँ है, जैसी है' एवं 'जैसी है वैसी है एवं बिना किसी सहारे' के आधार पर विक्रय होगी। कंपनी को उपरोक्त संपत्तियों पर किसी भार की जानकारी नहीं है।
12. सभी व्यय स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज, ट्रांसफल चार्ज अतिदेय सहित कोई अन्य बकाया क्रेता द्वारा भुगतान किया जाएगा।
13. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव या किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और कंपनी किसी या सभी बोली को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार रखते हैं।
14. बिक्री प्रक्रिया में बोलीकर्ताओं / प्रस्तावकर्ताओं या उनके प्रधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त किसी अन्य को भागीदारी की अनुमति नहीं होगी ।
15. उपरोक्त नीलामी प्रक्रिया में यदि सभी लागत, अधिभारों और कंपनी द्वारा किए सभी खर्चों सहित उपरोक्त ऋणकर्ता द्वारा, नीलामी की तय तिथि के किसी भी समय पूर्व सेक्शन 13 (8) के अंतर्गत सम्पूर्ण राशि का भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं, तब संपत्ति विक्रय नहीं की जायेगी तथा भावी बोलीकर्ताओं द्वारा जमा की गई बोलीकंपनी के विरुद्ध बिना किसी देयता / दावे के वापस कर दी जायेगी।
16. यह सूचना उपरोक्त ऋणकर्ता के लिये सिक्योरिटी इंट्रेस्ट एनफोर्समेंट रुल्स 2002 के रुल 8 (6) एवं परिशिष्ट IVA के अंतर्गत एक नोटिस है, ग्राहक के कॉलम सी एवं एफ में दर्शाये पते पर ।
17. विस्तृत नियम व शर्तों के लिये कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाईट अर्थात् www.shubham.co रेफर करें।
18. अधिक जानकारी, स्पष्टता या किसी भी सहायता के लिए, प्राधिकृत अधिकारी **श्री. राहुल रॉय से मोबाइल नंबरः 9826740545** पर संपर्क किया जा सकता है।

स्थान : गुरूग्राम
दिनांकः 19-05-2026

प्राधिकृत अधिकारी
शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

---

pnb Housing Finance Limited

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) के तहत निजी समझौते के माध्यम से पीएनबी फाइनेंस लिमिटेड द्वारा प्रभारित अचल संपत्तियों की बिक्री सूचना

धनीराम अहिरवार/लक्ष्मी बाई – प्लॉट सं.90, प्लॉट बी सर्वे सं. 30/5 पीएच सं. 67, हसनाबाद, गिरधर कॉलोनी, विदिशा, मध्य प्रदेश – 464001, विदिशा, भारत
ऋण खाता सं. HOU/BHO/1118/610484
शाखा का पताः पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, दूसरा तल, 131/08, झूमरवाला के पास, जोन–2, एम.पी.नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश– 462011
प्राधिकृत अधिकारी का विवरणः नामः विभुति शर्मा,
शाखा का फोन संख्याः 7290061335, ईमेल आई डीः vibhuti.sharma@pnbhousing.com

निजी संधी को 04 जून, 2026 को निष्पादित किया जाएगा

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेडके प्रधिकृत अधिकरी के रूप में हस्तांतरित व्यक्ति ने सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत अनुसूचित संपत्ति पर कब्जा संभाल लिया है। आमंत्रित सार्वज़बोली के माध्यम से नीलामी के पूर्व प्रयास विफल रहे हैं। इसलिए, जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में वर्णित प्रत्याभूत परिसंपत्ति, बकाया राशि की प्राप्ति के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की सहमति अनुसार निजी समझौते के माध्यम से **''जो हां जैसा है आधार'', और ''जो है जहां है आधार''**की शर्तों पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। निजी समझौते के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक शर्तें और नियम इस प्रकार हैं:

(1) निजिी समझौते के माध्यम से बिक्री **''जो है जैसा है आधार'', और ''जो है जहां है आधार''** आधार पर होगी। इस प्रकार, कोई सार्वजनिक बोलियां आमंत्रित नहीं की जाएंगी।
(2) ऐसे खरीदार को संपत्ति की खरीद के प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होने के अगले कार्यदिवस पर बिक्री का 25% जमा करने होगा और शेष राशि 15 दिनों के भीतर जमा करना होगी।
(3) खरीदार को आवेदन के साथ प्रस्तावित राशि का 10% जमा करने होगा, जिसे उपर उल्लिखित धारा (2) के अनुसार जमा की जाने वाली राशि 25% राशि से समायोजित किया जाएगा।
(4) उपरोक्त क्लॉज (2) के तहत आवश्यमक राशि का भुगतान न करने पर पहले से भुगतान की गई राशि, जिसमें आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि शामिल है, जब्त कर ली जायेगी।
(5) यदि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटे ड द्वारा खरीद प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है , तो आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
(6) संपत्ति को सभी मोदुदा और भविष्य के बाधाओं के साथ बेचा जा रहा है, चाहे पीएनबी हाउसिंहग फाइनेंस को उनके बारे में ज्ञात हो या नहीं। प्रधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावेओं /अधिकारों/बकाया के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होंगे.
(7) खरीदार को संपत्ति (गोपनीय समझाते के म ाध्यम से बिक्री) से संबंधित सभी पहलुओं पर संतोषजनक रूप से उचित परिश्रम करना चाहिए। खरीदार को इस संदर्भ में प्राधिकृत अधिकारी/प्रतायाभूत ऋणदाता के विरुद्ध बाद में कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
(8) पीएनबीएचएफएल किसी खरीद प्रस्ताव को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
(9) यदि एक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होते हैं , पी एनबीएचएफएल सर्वोच्च प्रस्ताव स्वीकार करेगा।
(10) इच्छुक प क्ष आगे के विवरण/ स्पष्टीकरण के लिए और अपना आवेदन जमा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
(11) खरीदार को संपत्ति की खरीद संबंधी स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च, कर, शुल्क आदि का भार उठाना होगा।
(12) बिक्री सरफैसी अधिनियम/ नियमों के प्रवधानों के अनुसार की जाएगी।

अनुसूचीः रू.8,37,000/–(रूपये आठ लाख सेंतीस हजार मात्र) आरक्षित मूल्य (रू.) (इसके नीचे संपत्तियां नहीं बेची जाएंगी)
संपत्ति(यों) का विवरणः प्लॉट सं.90, प्लॉट बी सर्वे सं. 30/5 पीएच सं. 67, हसनाबाद, गिरधर कॉलोनी, विदिशा, मध्य प्रदेश – 464001, विदिशा, भारत

दिनांक : 20.05.2026, स्थान : मध्य प्रदेश
प्रति पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी)

---

motilal oswal

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

सीआईएन नंबर :– U65923MH2013PLC248741 कॉर्पोरेट कार्यालय : मोतीलाल ओसवाल टावर, रहमतुल्लाह सयानी रोड, एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई–400025, **ईमेल :** hfquery@motilaloaswal.com
शाखा कार्यालय : 501 और 502, लक्ष्मी एन्क्लेव अपार्टमेंट, पंडित कॉलोनी, नासिक – 422002, महाराष्ट्र
संपर्क नंबर : दीपक ठाकुर – 7045828073 और किरण रतन कटाड़ – 8104800300

माँग सूचना

(वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत)

अधिनियम के तहत मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (एमओएचएफएल) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना जारी की है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। अधोहस्ताक्षरी का यथोचित मानना ध्है कि उधारकर्ता/गण मांग सूचना